0/C

सेवा में,
श्रीमान मुख्य सचिव महोदय,
उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, जिला देहरादून

विषय : उत्तराखण्ड राज्य में अवैधानिक तरीके से उच्च जाति वालों को जारी किए गए जनजाति प्रमाणपत्र के संबंध में।
मान्यवर,
प्रार्थी सविनय निम्न निवेदन करता है:-
1. यह कि उत्तराखण्ड राज्य में तहसील-विकास नगर, तहसील- त्यूनी, तहसील- कालसी,व अन्य क्षेत्रो में भी अवैधानिक तरीके से संसद एवं महामहिम रास्त्रपति के द्वारा अनुमोदित कानूनों की अवहेलना कर कुछ अधिकारियो के द्वारा गलत तरीके से अपात्र व्यक्तियों को जनजाति के प्रमाण पत्र निर्गत किये जा रहे है जिनके द्वारा वे राज्य में जनजाति के संरक्षित पदों पर नियुक्ति प्राप्त कर रहे है इसप्रकार एक नहीं सैकड़ो की संख्या में मामले हैं जिसपर आपके द्वारा संज्ञान लिया जाना न्यायहित में अत्यंत आवश्यक है।
2. महोदय भारत के राष्ट्रपति के द्वारा CONSTITUTION (Schedule Tribe) (Uttar Pradesh) Order 1967, CO. 78 द्वारा भारतीय संविधान के आर्टिकल 342 (1) के अंतर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है, ऑर्डर की प्रति संलग्न संख्या 1 है, तथा हिंदी में अनुवादित आदेश की प्रति संलग्न संख्या 2 है।
3. महोदय उक्त आदेश की अनुसूची में निम्न जातियाँ जनजाति घोषित की गई है। 1-भोटिया 2-बुक्सा 3- जनसारी 4- राजी 5- थारू
तथा जो अन्य जातियां घोषित की गई है व उत्तर प्रदेश के जिलों से संबंधित है।
4. महोदय माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पांच जजों की पीठ ने सिविल अपील नंबर 2294/1986 निर्णय दिनांक 28-11-2000 स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम मिलन, में यह निम्न सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है।
1. It is not at all permissible to hold any enquiry or let in any evidence to decide or declare that any tribe or tribal community or part of or group within any tribe or tribal community is included in the general name even though it is not specifically mentioned in the concerned Entry in the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950.
2. The Scheduled Tribes Order must be read: as it is.
It is not even permissible to say that a tribe, sub-tribe, part of or group of any tribe or tribal community is synonymous to the one mentioned in the Scheduled Tribes, Order if they are not so specifically mentioned in it.
3. A notification issued under Clause (1) of Article 342, specifying Scheduled Tribes, can be amended only by law to be made by the Parliament. In other words, any tribe or tribal community or part of or group within any tribe can be included or excluded from the list of Scheduled Tribes issued under Clause (1) of Article 342 only by the Parliament by law and by no other authority.

Scanned with OKEN Scanner

4. It is not open to State Governments or courts or tribunals or any other authority to modify, amend or alter the list of Scheduled Tribes specified in the notification issued under Clause (1) of Article 342.

6. इसीप्रकार सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी सिविल नंबर 13484-13488/2019 के निर्मला और अन्य बनाम केनरा बैंक और अन्य में या सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि:-

1. It is not at all permissible to hold any enquiry or let in any evidence to decide or declare that any tribe or tribal community or part of or group within any tribe or tribal community is included in the general name even though it is not specifically mentioned in the concerned Entry in the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950

2. The Scheduled Tribes Order must be read as it is. It is not even permissible to say that a tribe, sub-tribe, part of or group of any tribe or tribal community is synonymous to the one mentioned in the Scheduled Tribes Order if they are not so specifically mentioned in it.

3. A notification issued under Clause (1) of Article 342, specifying Scheduled Tribes, can be amended only by law to be made by the Parliament. In other words, any tribe or tribal community or part of or group within any tribe can be included or excluded from the list of Scheduled Tribes issued under Clause (1) of Article 342 only by the Parliament by law and by no other authority.

4. It is not open to the State Governments or courts or tribunals or any other authority to modify, amend or alter the list of Scheduled Tribes specified in the notification issued under Clause (1) of Article 342.

निम्न वर्णित न्याय निर्णयों में मा० सर्वोच्च न्यायालय ने " उपजाति को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है" माना है जबकि उत्तराखण्ड राज्य में कोई भी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित नही है।

5. Civil Appeal No. 2317/2021 state of Punjab and others vs Davinder Singh and others, judgement dated 01-08-2024, मा० सर्वोच्च न्यायालय

6. (2016) 3 SCR 368 T. Kocha vs State of Kerala and others,

7. in the Judgement of R. Viswanatha Pillai vs. State of Kerala and others

8. (2017) 11 SCR 271, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर FCI एवं अन्य बनाम जगदीश बलराम बहिरा और अन्य निर्णय दिनांक 06-07-2017

9. महोदय माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल में दिनांक 03-12-2021 को याचिका संख्या 2303(M.S. of 2019) इतिका पाण्डेय व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मुख्य सचिव सोसायटी वेलफेयर विभाग उत्तराखण्ड सरकार की और से शपथपत्र दिया गया जिसमे कानून मंत्रालय के द्वारा नोटीफिकेशन दिनांक 24-06-1967 में राष्ट्रपति द्वारा GSR 960 की प्रति लगायी गयी है जिसमे Part 21 Uttaranchal में 5 जनजातियों का उल्लेख किया है जो कि 1-भोटिया 2- बुक्सा 3- जनसारी 4- राजी 5- थारू तथा उत्तराखण्ड में जनजाति क्षेत्र घोषित नहीं है, शपथपत्र की छायाप्रति आपके अवलोकन के लिए संलग्न की गयी है जो कि संलग्नक 4 है। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि उक्त शपथपत्र की चरण संख्या 5 में Jannsari

Scanned with OKEN Scanner

की जगह Jaunsari लिखा गया तथा उक्त शपथपत्र की चरण संख्या 7 में लिखा गया है कि "Jaunsar area was never declared in the state of Uttarakhand".

भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय (सी.एण्ड एल.एम.-1 अनुभाग) शास्त्री भवन दिल्ली दिनांकित 30 मई 2008 के पत्र में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है की राज्य सरकारों, न्यायालाय्प या अधिकरणों या किसी अन्य प्राधिकरण को अनुसूचित जनजातियो की सूची में संशोधन करने का अधिकार नही है।

यह कि दिनांक 05-06-2025 को मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन व मा० मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड के द्वारा जनजातीय मंत्रालय भारत सरकार को पत्र लिखा कि " जनसारी को जौनसारी" कर दिया जाय, अर्थात उत्तराखण्ड शासन को पूर्णतः ज्ञान है कि जौनसारी कोई जाति नहीं है। उक्त पत्र के जबाव में भारत सरकार के जनजाति मंत्रालय के सचिव श्री आशीष कुमार अग्रवाल जी ने उत्तराखण्ड सरकार को अपने भेजे गए जबाव में कहा कि "आर्टिकल 342 में संशोधन का अधिकार केवल संसद को है ना कि किसी राज्य सरकार, न्यायालय, ट्रिब्यूनल या किसी आयोग को है।

अतः महोदय से प्रार्थना है कि उपरोक्त के आलोक में देहरादून जनपद में जारी जनजाति के प्रमाणपत्र जो कि अयोग्य व्यक्तियों को जारी किया गया है, को निरस्त करने की कृपा करें।

दिनांक: 12-06-2026

प्रार्थी

विकेश सिंह नेगी (एडवोकेट)
चै० न० 1 ए. सिविल कोर्ट कंपाउंड विपरीत शहीद स्मारक, जिला देहरादून-248001,
मो०-9758222922

संलग्नक:

1- महामहिम राष्ट्रपति का नोटीफिकैसन 1967
2- दिनांक 05-06-2025 को मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन व मा० मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड के द्वारा जनजातीय मंत्रालय भारत सरकार को पत्र
3- जनजाति मंत्रालय के सचिव श्री आशीष कुमार अग्रवाल जी ने उत्तराखण्ड सरकार को अपने भेजे गए जबाव
4- उपरोक्त वर्णित रुलिं

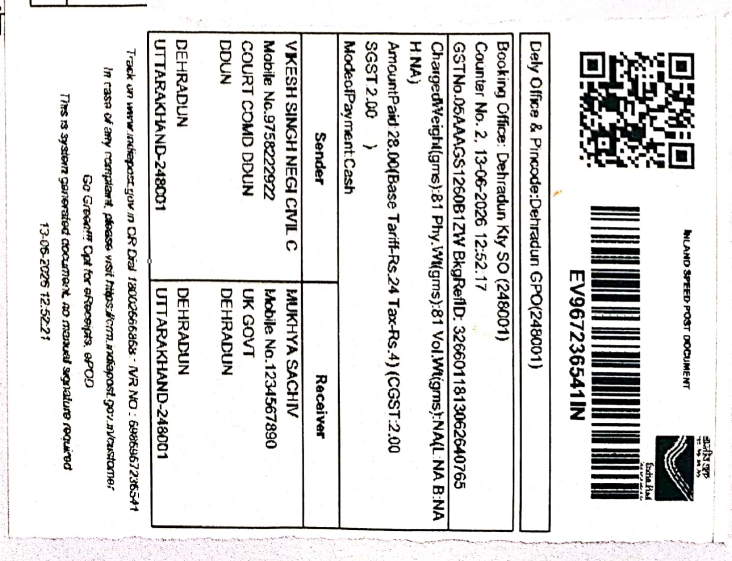

Scanned with OKEN Scanner

[1][THE CONSTITUTION (SCHEDULED TRIBES) (UTTAR PRADESH) ORDER, 1967

(C.O. 78)

In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 342 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Governor of the State of Utter Pradesh, is pleased to make the following Order, namely:--

1. This Order may be called the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967.

2. The tribes or tribal communities, or parts of, or groups within, tribes or tribal communities, specified in the Schedule to this Order, shall, for the purposes of the Constitution of India, be deemed to be Scheduled Tribes in relation to the State of Uttar Pradesh so far as regards members thereof resident in that State.

THE SCHEDULE

1. Bhotia
2. Buksa
3. Jannsari
4. Raji
5. Tharu.
6. [2][6. Gond, Dhuria, Nayak, Ojha, Pathari,Raj Gond (in the districts of Mehrajganj, Sidharth Nagar, Basti, Gorakhpur, Deoria, Mau, Azamgarh, Jonpur, Balia, Gazipur, Varanasi, Mirzapur and Sonbhadra)
7. Kharwar, Khairwar (in the districts of Deoria, Balia, Ghazipur, Varanasi and Sonbhadra)
8. Saharya (in the district of Lalitpur)
9. Parahiya (in the district of Sonbhadra)
10. Baiga (in the district of Sonbhadra)
11. Pankha, Panika (in the districts of Sonbhadra and Mirzapur)
12. Agariya (in the district of Sonbhadra)
13. Patari (in the district of Sonbhadra)
14. Chero (in the districts of Sonbhadra and Varanasi)
15. Bhuiya, Bhuinya (in the district of Sonbhadra)].

---

1. Published with the Ministry of Law, Notifn. No. G.S.R. 960, dated the 24th June, 1967, Gazette of India, Extraordinary, 1967, Part II, Section 3(i), page 311.
2. Ins. by Act 10 of 2003, s. 4 and the Second Sch.

Scanned with OKEN Scanner

सं. 11030/3/2008-सी.एण्ड एल.एम.-1

भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

(सी.एण्ड एल.एम-1 अनुभाग)

शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

दिनांक 30 मई, 2008

सेवा में,

श्री वृज मोहन सुपुत्र श्री केवल राम,
गांव व डाकघर-झौण्ड़ी चौड़,
कोटद्वार, गढ़वाल (उत्तरांचल)

विषयः सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना-अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र का प्रचालन ।

संदर्भः सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपका पत्र दिनांक 20.05.2008

महोदय,

मुझे सी.पी.आई.ओ., सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के नाम उपर्युक्त विषय पर आपके अनुरोध दिनांक 29.02.2008 (डायरी सं. 237 दिनांक 17.03.2008) को संदर्भित करने तथा यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि:-

(1) जनजातीय कार्य मंत्रालय समुदायों के अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्देशन के लिए नोड़ल एजेंसी है । तथापि, जाति प्रमाण-पत्रों का प्रचालन एवं सत्यापन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों/ संघ क्षेत्र प्रशासन का होता है । गृह मंत्रालय के परिपत्र सं. 12025/2/76-एस.सी.टी.-1, दिनांक 22.03.1977 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी इस प्रकार के प्रमाण पत्रों की विशुद्धता का उचित सत्यापन करके तथा संतुष्ट होने के उपरांत ही ऐसा करेगा ।

(2) उत्तर प्रदेश राज्य की अनुसूचित जनजातियों की प्रथम सूची संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967, दिनांक 24.06.1967 को अधिसूचित की गई थी, जिसमें 'भोटिया', 'बुक्सा', 'जौनसरी', 'राजी', तथा 'थारू', उत्तर प्रदेश राज्य में अनुसूचित जनजातियों की अनुसूची में थे । ये समुदाय उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के माध्यम से उत्तरांचल राज्य में भी अनुसूचित जनजातियों के रूप में हैं ।

(3) भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने केस सं. 652/2000- महाराष्ट्र राज्य बनाम मिलिंद में निर्णय दिया है कि :-

(क.) अनुसूचित जनजाति आदेश जैसा है वैसा ही पढ़ा जाए । यह कहना भी अनुमत्य नहीं होगा कि एक जनजाति, उप जनजाति या उसका भाग या समूह या कोई अन्य जनजाति या जनजातीय समुदाय आदेश में उल्लिखित एक का पर्यायवाची है, यदि उनको इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित न किया जाए ।

(ख) अनुच्छेद 342 के खण्ड (1) के अंतर्गत जारी की गई अधिसूचना को संसद के अधिनियम के द्वारा ही अधिसूचित किया जा सकता है ।

(ग) राज्य सरकारों, न्यायालयों या अधिकरणों या किसी अन्य प्राधिकरण को अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन करने का अधिकार नहीं है ।

भवदीय

(डॉ0 एन.के.घटक)
संयुक्त निदेशक
दूरभाषः 011-23383965

कृपया ध्यान दें : सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के भाग 19(1) के संदर्भ में जनजातीय कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्रीमती रुचिरा पंत, कमरा सं. 722, 'ए' विंग शास्त्री भवन, नई दिल्ली; दूरभाष सं. 011-23383622 (कार्यालय) 23073607 (फैक्स) को जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए अपीलीय प्राधिकरण पद नामित किया गया है ।

Scanned with OKEN Scanner

THE SIXTH SCHEDULE

(*See* Section 25)

AMENDMENTS TO THE CONSTITUTION (SCHEDULED TRIBES) ORDER, 1950

In the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950,—

(1) in paragraph 2, for the figures "XX", the figures "XXI" shall be substituted;

(2) in the Schedule, after Part XX, the following Part shall be inserted, namely:—

"PART XXI—Uttaranchal

1. Bhotia.
2. Buksa.
3. Jannsari.
4. Raji.
5. Tharu.".

THE SEVENTH SCHEDULE

(*See* Section 47)

LIST OF FUNDS

1. Depreciation Reserve Fund—Irrigation.
2. Depreciation Reserve Fund—Government Press.
3. Depreciation Reserve Fund—Precision Instrument Factory.

Annexure (8)

"Jaunsari" is a Scheduled Tribe community residing in both the States of Uttarakhand and Uttar Pradesh. The community was notified as a Scheduled Tribe community vide the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967. The spelling of the community notified in undivided Uttar Pradesh was "Jaunsari".

However, the State of Uttar Pradesh was reorganized vide "The Uttar Pradesh Reorganization Act, 2000, thereby creating the States of Uttar Pradesh and Uttarakhand. In the reorganization Act in the Sixth Schedule (Section 25, Point 3), the name of the Scheduled Tribe community in respect of Uttarakhand State is misspelled as "Jannsari" whereas, the name of the Scheduled Tribe community in respect of Uttar Pradesh continues to be "Jaunsari" vide the above notification of year 1967. There is no community named "Jannsari" in the State of Uttarakhand.

In the state of Uttarakhand, the certificates to the members of the community are being issued as "Jaunsari" only whereas in the website of MoTA, the community name is spelled as "Jannsari", in view of the UP Reorganization Act, 2000. This creates lot of inconvenience and confusion to the members of the community who are seeking employment in the Government / PSUs under ST quota resulting in the situation that some departments / employers accept the difference in the spelling name and some other departments do not accept the ST community certificates issued from Uttarakhand in the name of "Jaunsari" as it is not verified from the website.

In this regard, Chairman, Jaunsar Bawar Tribal Welfare Society, Delhi took up the matter with MoTA vide representation dated 4.12.2024. MoTA vide letter no. 19020/34/2024-C&LM (E-28777) dated 8.1.2025 (Copy enclosed) has given advice to Social Welfare Department, Govt. of Uttarakhand for taking up the matter with Ministry of Home Affairs regarding

Contd-2-

Scanned with OKEN Scanner

change/ rectification of nomenclature from "JANNSARI" to "JAUNSARI" in the List of Scheduled Tribes of Uttarakhand.

In view of the above, I would like to request you that necessary action may kindly be initiated by MoTA with the Ministry of Home Affairs to rectify the name of community from "JANNSARI" to "JAUNSARI" in the ST List of Uttarakhand by way of amendment in Section 25, Point 3 of Sixth Schedule of Uttar Pradesh Reorganization Act, 2000.

I request you to accord highest priority to the matter. I shall be highly obliged for the same.

Your Sincerely

(Pushkar Singh Dhami)

Shri Amit Shah,
Hon'ble Minister,
Ministry of Home Affairs,
Govt of India,
North Block,
New Delhi - 110001.

Scanned with OKEN Scanner

[illegible]

Chief Secretary

D.O. No. [illegible] 2025
Date. [illegible]5 June 2025

Dear Sir,

"Jaunsari" is a Scheduled Tribe community residing in both the States of Uttarakhand and Uttar Pradesh. The community was notified as a Scheduled Tribe community vide the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967. The spelling of the community notified in undivided Uttar Pradesh was "Jaunsari".

However, the State of Uttar Pradesh was reorganized vide "The Uttar Pradesh Reorganization Act, 2000, thereby creating the States of Uttar Pradesh and Uttarakhand. In the reorganization Act in the Sixth Schedule (Section 25, Point 3), the name of the Scheduled Tribe community in respect of Uttarakhand State is misspelled as "Jannsari" whereas, the name of the Scheduled Tribe community in respect of Uttar Pradesh continues to be "Jaunsari" vide the above notification of year 1967. There is no community named "Jannsari" in the State of Uttarakhand.

In the state of Uttarakhand, the certificates to the members of the community are being issued as "Jaunsari" only whereas in the website of MoTA, the community name is spelled as "Jannsari", in view of the UP Reorganization Act, 2000. This creates lot of inconvenience and confusion to the members of the community who are seeking employment in the Government / PSUs under ST quota resulting in the situation that some departments / employers accept the difference in the spelling name and some other departments do not accept the ST community certificates issued from Uttarakhand in the name of "Jaunsari" as it is not verified from the website.

In this regard, Chairman, Jaunsar Bawar Tribal Welfare Society, Delhi took up the matter with MoTA vide representation dated 4.12.2024. MoTA vide letter no. 19020/34/2024-C&LM (E-28777) dated 8.1.2025 (Copy enclosed) has given

Contd-2-

[illegible]

[illegible] to Social Welfare Department, Govt. of Uttarakhand for [illegible] with Ministry of Home Affairs regarding change/ rectification [illegible] name from "JANNSARI" to "JAUNSARI" in the list of Scheduled Tribe [illegible] [illegible]rakhand.

In view of the above, I would like to request you that necessary action may kindly be initiated by MoTA with the Ministry of Home Affairs to rectify the name [illegible] community from **"JANNSARI" to "JAUNSARI"** in the ST List of Uttarakhand by way of amendment in Section 25, Point 3 of Sixth Schedule of Uttar Pradesh Reorganization Act, 2000.

I request you to accord highest priority to the matter. I shall be highly obliged for the same.

Regards,

Your Sincerely

(Anand Bardhan)

Shri Vibhu Nair,
Secretary,
Ministry of Tribal Affairs,
Govt of India,
Shastri Bhawan,
New Delhi- 110001.

[illegible]

F.No.16012/08/202[illegible] C&LM [illegible]
Government of India
Ministry of Tribal Affairs
(C&LM Division)
*****

Jeevan Tara Building (First Floor Gate No.5),
Sansad Marg, Patel Chowk, New Delhi-110001
Dated: - 31.07.2025

To,

Shri Ajay Prasad,
Dy. General Manager (HR)
NTPC Limited (A Govt. of India Enterprise)
EOC, Sector-24, Noida, GB Nagar, UP
Mobile: +91-9996788062
E-Mail: ajayprasad@ntpc.co.in

Subject: - Clarification on ST matters- NTPC Limited
******

I am directed to refer your email dated 30.07.2025 enclosing therewith related documents on the subject matter.

2. In this regard, it is intimated that the Ministry of Tribal Affairs is the nodal ministry for specification of a community as Scheduled Tribes under Article 342 of Constitution of India according to the approved modalities. As per the list of Scheduled Tribes, the "Lambadis" is listed at entry 28 as Scheduled Tribe in the State of Telangana and at entry 29 in the ST list of STs Andhra Pradesh. The "Jannsari" is listed at entry 03 in the ST list of Uttarakhand. The list of ST is available on the Ministry of Tribal Affairs Website i.e., https://tribal.nic.in/ web page - Knowledge Hub - Statistics- State wise List of Scheduled Tribes in India. Whereas, the responsibility of verification of social status and issuance and verification of community certificate rests with concerned State/UT Administration.

3. Further, the Hon'ble Supreme Court in its decision dated 28.11.2000, given in **Milind Case** by issuing Order under Article 341 and 342 of Constitution, had held (as per Para 29 of the decision) which inter-alia states, as under: -

(a) It is not at all permissible to hold any enquiry or let in any evidence to decide or declare that any tribe or tribal community or part of or group within any tribe or tribal community is included in the general name even though it is not specifically mentioned in the concerned Entry in the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950.

(b) The Scheduled Tribes Order must be read as it is. It is not even permissible to say that a tribe, sub-tribe, part of or group of any tribe or tribal community is synonymous to the one mentioned in the Scheduled Tribes Order if they are not so specifically mentioned in it.

(c) A Notification issued under Clause (1) of Article 342, specifying Scheduled Tribes, can be amended only by law to be made by the

D.R.(Trai...

[illegible] Years, any tribe or tribal community or part of or group [illegible] can be included or excluded from the list of Scheduled Tribes issued under Clause (1) of Article 342 only by the Parliament by law and by no other authority.

(d) It is not open to State Governments or Courts or Tribunals or any other authority to modify, amend or alter the list of Scheduled Tribes specified in the notification issued under Clause (1) of Article 342.

Yours faithfully,

(Ashish Kumar Agrawal)
Under Secretary to Govt. of India
Email address: - agrawal.ashish@gov.in
Telephone No. 011-23340455

सं. 11030/3/2008-सी.एण्ड एल.एम.-1

भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
(सी.एण्ड एल.एम-1 अनुभाग)

शास्त्री भवन, नई दिल्ली-11000
दिनांक 30 मई, 200

सेवा में,

श्री बृज मोहन सुपुत्र श्री केवल राम,
गांव व डाकघर-झौण्डी चौड़,
कोटद्वार, गढ़वाल (उत्तरांचल)

विषयः सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना-अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र का प्रचालन ।

संदर्भः सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपका पत्र दिनांक 20.05.2008

महोदय,

मुझे सी.पी.आई.ओ., सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के नाम उपर्युक्त विषय पर आपके अनुरोध दिनांक 29.02.2008 (डायरी सं. 237 दिनांक 17.03.2008) को संदर्भित करने तथा यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि:-

(1) जनजातीय कार्य मंत्रालय समुदायों के अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्देशन के लिए नोडल एजेंसी है । तथापि, जाति प्रमाण-पत्रों का प्रचालन एवं सत्यापन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों/ संघ क्षेत्र प्रशासन का होता है । गृह मंत्रालय के परिपत्र सं. 12025/2/76-एस.सी.टी.-1, दिनांक 22.03.1977 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी इस प्रकार के प्रमाण पत्रों की विशुद्धता का उचित सत्यापन करके तथा संतुष्ट होने के उपरांत ही ऐसा करेगा ।

(2) उत्तर प्रदेश राज्य की अनुसूचित जनजातियों की प्रथम सूची संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967, दिनांक 24.06.1967 को अधिसूचित की गई थी, जिसमें 'भोटिया', 'बुक्सा', 'जौनसरी', 'राजी', तथा 'थारू', उत्तर प्रदेश राज्य में अनुसूचित जनजातियों की अनुसूची में थे । ये समुदाय उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के माध्यम से उत्तरांचल राज्य में भी अनुसूचित जनजातियों के रूप में हैं ।

(3) भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने केस सं. 652/2000- महाराष्ट्र राज्य बनाम मिलिंद में निर्णय दिया है कि :-

(क.) अनुसूचित जनजाति आदेश जैसा है वैसा ही पढ़ा जाए । यह कहना भी अनुमत्य नहीं होगा कि एक जनजाति, उप जनजाति या उसका भाग या समूह या कोई अन्य जनजाति या जनजातीय समुदाय आदेश में उल्लिखित एक का पर्यायवाची है, यदि उनको इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित न किया जाए ।

(ख) अनुच्छेद 342 के खण्ड (1) के अंतर्गत जारी की गई अधिसूचना को संसद के अधिनियम के द्वारा ही अधिसूचित किया जा सकता है ।

(ग) राज्य सरकारें, न्यायालयों या अधिकरणों या किसी अन्य प्राधिकरण को अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन करने का अधिकार नहीं है ।

भवदीय

(डॉ0 एन.के.घटक)
संयुक्त निदेशक
दूरभाष: 011-233839

कृपया ध्यान दें : सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के भाग 19(1) के संदर्भ में जनजातीय कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्रीमती रुचिरा पंत, कमरा सं. 722, 'ए' विंग शास्त्री भवन, नई दिल्ली; दूरभाष सं. 011-23383622 (कार्यालय) 23073607 (फैक्स) को जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए अपीलीय प्राधिकरण पद नामित किया गया है ।

D.R.(Institu...

Scanned with OKEN Scanner

[illegible] अनुसूचित [illegible] 1967 [illegible]

[illegible] अनुसूचित [illegible] जनजातियों [illegible] के भाग [illegible] है [illegible] की संविधान के [illegible] उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में [illegible] जो उस राज्य में निवासी हैं, अनुसूचित जनजातियां समझी जाएंगी ।

अनुसूची

[illegible] धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राज गोंड (महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में)

[illegible] खैरवार (देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र जिलों में)

8. सहरिया (ललितपुर जिले में)

9. परहिया (सोनभद्र जिले में)

10. बैगा (सोनभद्र जिले में)

11. पंखा, पनिका (सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों में)

12. अगरिया (सोनभद्र जिले में)

13. पटारी (सोनभद्र जिले में)

14. चेरो (सोनभद्र और वाराणसी जिलों में)

15. भुइया, भुनिया (सोनभद्र जिले में)

एफ न.11030/14/2022-सी एंड एलएम (ई-23258)

भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

(सी एंड एलएम प्रभाग)

****

गेट नं. 5, प्रथम तल, जीवन तारा भवन,
पटेल चौक, संसद मार्ग, नई दिल्ली।
दिनांक: 23.09.2025

सेवा में,

डॉ विकेश सिंह नेगी, अधिवक्ता
छ. न०-1ए, सिविल कोर्ट कंपाउंड,
शहीद स्मारक के सामने,
देहरादून (उत्तराखंड)

विषय: आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी प्रस्तुत करना - तत्संबंधी।

महोदय,

कृपया अपने आरटीआई आवेदन दिनांक 13.09.2025 का संदर्भ लें जो कि इस मंत्रालय को दिनांक 18.09.2025 को प्राप्त हुआ है ।

<u>प्वाइंट नं 1</u>

इस संबध में यह कहा जाता है कि मांगी गई जानकारी बहुत पुरानी प्रतीत होती है । जनजातीय कार्य मंत्रालय वर्ष 1999 से अनुसूचित जनजाति के रूप में रागुदाय के विनिर्देश के लिए नोडल मंत्रालय है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के विभाजन के बाद 1999 में इस मंत्रालय की स्थापना की गई थी। मंत्रालय के गठन से पहले, विभिन्न मंत्रालयों द्वारा जनजातीय मामलों को संभाला गया था, जोकि (1) सितंबर, 1985 तक स्वतंत्रता के बाद से आदिवासी प्रभाग के रूप में नामित गृह मंत्रालय का एक प्रभाग, (2) सितंबर 1985 से मई 1998 तक कल्याण मंत्रालय और (3) मई 1998 से सितंबर 1999 तक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय । इस सीपीआईओ को प्रस्तुत करने के लिए कोई जानकारी नहीं है। *तथापि, इस मंत्रालय से संबंधित सभी राजपत्र अधिसूचना की प्रति इस मंत्रालय की वेबसाइट पर वेबलिंक https://tribal.nic.in/downloads/statistics/listscheduledtribes25112024.pdf में उपलब्ध है।*

<u>प्वाइंट सं. 2</u>

स्वीकृत तौर-तरीकों की प्रति संलग्न है।

<u>प्वाइंट सं. 3</u>

उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अधिसूचित संविधान की पांचवीं अनुसूची के अनुच्छेद 244(1) के तहत कोई अनुसूचित क्षेत्र नहीं है।

Scanned with OKEN Scanner